

पूपायन

मीवा को

बनाम

V/S पूपायन कोर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

69/2016

प्राथमिक

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

31/05/12

पञ्जावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। पञ्जावली, पञ्जावली पर उपलब्ध डी.जे.के. विधि के सुसंगत प्रावधानों का खल्लोकन किया गया। साबिक ख.नं. 306 रकबा 2 बिसवा, 307 रकबा 10 बीघा 6 बिसवा, 308 रकबा 5 बीघा 12 बिसवा मिला 3 रकबा 16 बीघा की खातेदारी शेडा, मूला, कालू के नाम डर्ज रिकार्ड रही है। उक्त खातेदारी मूला के लगते हुए ख.नं. 309 रिकार्ड-बुक में 2 बीघा मूला की खातेदारी भी उनके नाम होने पर खातेदारी 18 बीघा 5 बिसवा डर्ज हुई।

जयपुर 21/5/12

प्राचीन कनिवेदन बख कि साबिक रिकार्ड की तुलना में प्राचीनता की शक्ति का का ही गई तथा डिपेंडेंसरी भी गलत डर्ज कर दी, जिसकी दुबली काबल काडी द्वारा वाद पेश है। प्रस्तुत काड जवाब सरकार में निपत चल रहा है। मूल काड का न्यायपूर्ण निहाराण पञ्जावली के गुणावगुण क दोनो पक्षों की साक्ष्य उपरांत संभव, तब तक दोनो पक्षों के मध्य दिल्ली उका का विकार नही रहे इसके लिए उक्त पक्षों को तार्फ़त मूल दाखल दिया जाता है कि 2008 हरिकिरानपुरा के ख.नं. 414 मग 423 किला 10 रकबा 4.34 हैक्टैफ, एवं ख.नं. 584/417, 585/421 के साक्ष्य रिकार्ड एवं मौका की यका स्थिति बगैरे रखे। निर्णय आजमे काम हुआ गया।



पूपायन सूचना
जवाब सूचना
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

पूपायन सूचना
के पक्ष है
प्राधान्य के दिक्के

प्रस्तुतकार

उप-खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
पूपायन सूचना
जवाब सूचना
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

पूपायन सूचना
जवाब सूचना
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी

राजस्व लोक अदालत

जयपुर आगस्ट 2012